प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 587/2008

याचिकाकर्ता: जे.सी. ग्रोवर

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक व एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 28 नवंबर, 2011 को आदेशों की उद्घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षरकर्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 587/2008

याचिकाकर्ता: जे.सी. ग्रोवर

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक व एक

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

एकलपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री आर.के. केशरवानी, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता

श्री प्रमोद वर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता संग श्री सुमित वर्मा, अधिवक्ता ,उत्तरवादीगण के अधिवक्ता

आदेश

(दिनांक 28 नवंबर, 2011 को पारित)

(1) इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता दिनांक 16-4-2005 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) को रद्द करने की मांग करता है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द कर दी गई है, और दिनांक 26-12-2007 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) को भी रद्द करने की मांग करता है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था और दिनांक 16-4-2005 के आदेश को बरकरार रखा गया था।

(2) याचिकाकर्ता द्वारा मामले के उचित निर्णय हेतु संक्षेप में प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रारंभ में याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक [पूर्व में "बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" के नाम से

जाना जाता था] (संक्षेप में "उत्तरवादी बैंक") में शाखा प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने नवंबर 1984 में कार्यभार ग्रहण किया था। कोरबा में कार्यरत रहते हुए याचिकाकर्ता ने 26 दिनों की चिकित्सा अवकाश लिया, अर्थात् दिनांक 26-9-2004 से 21-10-2004 तक। इसके बाद उन्होंने 21 दिनों का चिकित्सा अवकाश लिया, अर्थात् दिनांक 5-11-2004 से 25-11-2004 तक और फिर 31 दिनों की चिकित्सा अवकाश लिया, अर्थात् दिनांक 26-11-2004 से 26-12-2004 तक, कुल मिलाकर 78 दिनों की।

(3) याचिकाकर्ता के अनुसार, इस बीच याचिकाकर्ता का तबादला कोरबा से पातेवा, महासमुंद में कर दिया गया और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने दिनांक 22-1-2005 को पातेवा, महासमुंद में कार्यभार ग्रहण किया और दिनांक 24-1-2005 को चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन किया। उक्त आवेदन के आधार पर, उत्तरवादी अधिकारियों ने दिनांक 29-1-2005 के पत्र (अनुलग्नक पी/4) द्वारा याचिकाकर्ता को अपने अवकाश आवेदन के समर्थन में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद, दिनांक 3-2-2005 और 10-2-2005 के नोटिस (अनुलग्नक पी/4, पेपर बुक में पी/22 और 23, क्रमशः) याचिकाकर्ता को तामील कराए गए, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि दिनांक 24-1-2005 के अवकाश आवेदन के साथ कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है और याचिकाकर्ता को 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 (संक्षेप में "विनियम, 2001") के विनियम 22 (2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, दिनांक 17/21-2-2005 का एक नोटिस (अनुलग्नक पी/4, पेपर बुक में पी/24) भी तामील कराया गया। याचिकाकर्ता ने उसे सूचित किया कि यदि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, तो यह मान लिया जाएगा कि याचिकाकर्ता अपनी सेवाएं जारी रखने में रुचि नहीं रखता है और इसे सेवाओं से त्यागपत्र देने के रूप में माना जाएगा।

(4) याचिकाकर्ता ने दिनांक 26-2-2005 को कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी/5) के जवाब में अपना उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें उसने कहा कि वह सेवा करने के लिए बिल्कुल इच्छुक है, लेकिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खराब स्वास्थ्य के कारण वह कर्तव्य निभाने में असमर्थ है और उसने चिकित्सा अवकाश लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इसके बावजूद, दिनांक 12-3-2005 के नोटिस (अनुलग्नक पी/6) द्वारा याचिकाकर्ता को पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र (अवधिवार) प्रस्तुत करने के बाद, उन्हें 7 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 19/21-3-2005 (अनुलग्नक P/7) को याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह बिलासपुर में उपचार पूरा करने के बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। पुनः दिनांक 29-3-2005 (अनुलग्नक पी/8) को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि वे दिनांक 11-4-2005 को या उससे पहले अनुपस्थित रहने की अवधि के चिकित्सा प्रमाण पत्र और उसके कारण का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा उनका नाम बैंक के कर्मचारियों की सूची से हटा दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) दिनांक 10-4-2005 और 12-4-2005 (अनुलग्नक पी/9 पेपर बुक में क्रमशः पी/29 और 30) को याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रधान कार्यालय गया और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया और याचिकाकर्ता को इसे डाक द्वारा भेजने की सलाह दी। इसके बाद, दिनांक 16-4-2005 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक-पी/1) द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति को पूर्व सूचनाओं का उत्तर न देने को सेवा से त्यागपत्र मानते हुए रद्द कर दिया गया। यह भी कहा गया कि विनियम, 2001 के विनियम 10 (1) के तहत वह 3 महीने की सूचना के साथ या उसके बदले 3 महीने के वेतन के भुगतान पर त्यागपत्र पत्र प्रस्तुत कर सकता था।

(6) इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने दिनांक 29-5-2005 को अपील दायर की (अनुलग्नक पी/10)। उक्त अपील में, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को महासमुंद जिला चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना जवाब देते हुए कहा कि वह बिलासपुर जिला चिकित्सा बोर्ड से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा क्योंकि याचिकाकर्ता

बिलासपुर में इलाज करा रहा था, चूंकि याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार नहीं की गई। याचिकाकर्ता दिनांक 18-4-2000 को महासमुंद मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ और चिकित्सा प्रमाण पत्र/पत्र प्रस्तुत किया (अनुलग्नक-पी/16)। याचिकाकर्ता के जवाब से असंतुष्ट होकर, दिनांक 20-12-2007 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई (अनुलग्नक पी-2)। अतः, यह याचिका I

(7) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री केशरवानी ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अस्वस्थता के कारण कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सका, जिसके लिए उसने नोटिसों का जवाब दिया था और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे। श्री केशरवानी ने आगे यह भी तर्क दिया कि विनियम 22(2) के तहत उचित जांच किए बिना, आरोप तय करने के बाद, याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह भारत के संविधान के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि सेवा नियमों, विनियमों आदि में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई बर्खास्तगी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, श्री केशरवानी ने दिल्ली परिवहन निगम बनाम मजदूर कांग्रेस और अन्य1 तथा मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य2 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया। उन्होंने रोशन प्रसाद सिदार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य3 के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का भी हवाला दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) उत्तरवादी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रमोद वर्मा ने श्री सुमित वर्मा के साथ मिलकर अधिकारियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीं वर्मा नेआगे यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का आचरण ऐसा था कि वह उत्तरवादी बैंक द्वारा बार-बार जारी किए गए निर्देशों या नोटिसों का पालन किए बिना लंबे समय तक अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहा और याचिकाकर्ता अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भी उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा। अतः, नियुक्ति रद्द करने या याचिकाकर्ता को हटाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। श्री

वर्मा दिनांक 20-2-1989 के एक परिपत्र (अनुलग्नक-आर/2) पर भरोसा करते हैं, जिसमें अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले में बैंक कर्मचारियों को हटाने का प्रावधान है।

(9) मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने, और अभिवेदनों तथा उनसे संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

(10) इस बात में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 3-2-2005, 10-2-2005, 17/21-2-2005, 26-2-2005, 12-3-2005, 29-3-2005 आदि को कई नोटिस जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने समय-समय पर अपना जवाब भी प्रस्तुत किया है। हालांकि, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए थे। याचिकाकर्ता ने महासमुंद जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिनांक 18-4-2006 को जारी एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता की समग्र स्थिति का उल्लेख है, लेकिन इसमें याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए किसी भी उपचार या विश्राम की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें विनियम, 2001 द्वारा शासित हैं, जिसे (अनुलग्नक-आर/1) दिनांक 26-6-2001 को अधिसूचित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) विनियम 10 में नोटिस द्वारा सेवा समाप्ति का प्रावधान है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में अपनी सेवा छोड़ने या समाप्त करने के अपने इरादे की सूचना दिए बिना बैंक में अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या समाप्त नहीं करेगा। सेवा से त्यागपत्र दें या सेवामुक्त हो जाएं। नोटिस अवधि 3 महीने या नोटिस अवधि के लिए 3 महीने का वेतन होगी। विनियम 10 इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता द्वारा किसी नोटिस के आधार पर अवकाश लेने या सेवा समाप्त करने का मामला नहीं था।

(12) विनियम, 2001 के विनियम 22, 38 और 73 निम्नानुसार हैं:

“22. अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा या उपस्थिति में देरी नहीं करेगा।

(i) कोई अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा, और न ही उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में अनुपस्थित रहेगा।

(ii) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो बिना अवकाश लिए कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है या अपनी अवकाश से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, ऐसी अनुपस्थिति या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए किसी भी प्रकार का वेतन और भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले अनुशासनात्मक उपायों के लिए उत्तरदायी होगा। बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी ऐसी अनुपस्थिति या अधिक समय तक अवकाश पर रहने को क्षमा कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अधिकारी या कर्मचारी अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण अनुपस्थित रहा है या उसने अपनी अवकाश का अधिक समय तक उपयोग किया है और निर्देश दे सकता है कि ऐसी अनुपस्थिति या अधिक समय तक अवकाश पर रहने को स्वीकार्य अवकाश द्वारा नियमित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. दंड

इस अध्याय के पूर्ववर्ती विनियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो इन विनियमों का उल्लंघन करता है, या जो लापरवाही, अक्षमता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जो बैंक के हितों के लिए हानिकारक कार्य करता है या उसके निर्देशों के विपरीत कार्य करता है, या जो अनुशासन का उल्लंघन करता है, या किसी अन्य प्रकार के कदाचार का दोषी है, वह इसके बाद निर्धारित एक या एक से अधिक दंडों के लिए उत्तरदायी होगा।

अधिकारी

[क] मामूली दंड

[i]निंदा

[ii]वेतन वृद्धि को रोकना या उसमें कटौती करना, चाहे उसका संचयी प्रभाव हो या न हो।

[iii]पदोन्नति रोकना

(ख) प्रमुख दंड

[i] बैंक को लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण हुई किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक वसूली उसके वेतन या अन्य देय राशियों से की जाएगी।

[ii]किसी पद या श्रेणी में पदावनति, या समय-सीमा में निचले वेतनमान पर पदावनति।

[iii] अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

[iv] सेवा से निष्कासन जो भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता होगी।

[v] बर्खास्तगी।

स्पष्टीकरण:

निम्नलिखित को इस विनियम के अर्थ में दंड नहीं माना जाएगा:

[i]किसी अधिकारी की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने के कारण उसकी एक और वेतन वृद्धि रोक देना।

[ii]किसी अधिकारी की वेतन वृद्धि को समय-सीमा में दक्षता स्तर पर रोक देना, इस आधार पर कि वह उस स्तर को पार करने के लिए अयोग्य है।

[iii] किसी अधिकारी को कार्यवाहक कार्यभार न देना या उसे उच्च श्रेणी या पद पर पदोन्नत न करना जिसके लिए वह विचारणीय हो सकता है, परन्तु जिसके लिए उसके मामले पर विचार करने के बाद उसे अनुपयुक्त पाया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[iv] पदोन्नति के लिए कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति या अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने जैसे कारणों से किसी अधिकारी की पदोन्नति को आरक्षित करना या स्थगित करना।

[v] किसी उच्च श्रेणी या पद पर कार्यवाहक अधिकारी को निम्न श्रेणी या पद पर पदावनत करना, या इस आधार पर कि परीक्षण के बाद उसे ऐसे उच्च श्रेणी या पद के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, या उसके आचरण से असंबंधित प्रशासनिक आधारों पर।

[vi] परिवीक्षा अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में किसी अन्य श्रेणी या पद पर परिवीक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी को पिछली श्रेणी या पद पर वापस भेजना

नियुक्ति की शर्तों या परिवीक्षा संबंधी नियमों या आदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि।

[vii] प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी का अपने मूल संगठन में वापस लौटना।

[viii] किसी अधिकारी की सेवा समाप्ति।

[क] किसी अनुबंध के तहत नियुक्त न होकर, अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया गया व्यक्ति, नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर या उससे पहले, उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार।

[ख] किसी अनुबंध या समझौते की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया हो और

[ग] छंटनी के भाग के रूप में: बशर्ते कि जहां यह प्रस्तावित हो

इस विनियम के खंड 1 के उपखंड [1] से [i] में निर्दिष्ट किसी भी छोटे दंड को लागू करने पर, संबंधित अधिकारी को उसके विरुद्ध लगाए गए चूक के आरोपों की लिखित सूचना दी जाएगी और उसे 15 दिनों से अधिक की निर्दिष्ट अवधि या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई विस्तारित अवधि के भीतर अपना लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा और यदि अधिकारी द्वारा कोई बचाव बयान प्रस्तुत किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी आदेश पारित करने से पहले उस पर विचार करेगा।

इसके अलावा, उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रमुख दंडों में से किसी को भी लागू करने का कोई भी आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आदेश के बिना नहीं दिया जाएगा और ऐसा कोई भी आदेश आरोप या आरोपों को लिखित रूप में तैयार किए बिना और अधिकारी को दिए बिना तथा जांच किए बिना पारित नहीं किया जाएगा ताकि उसे आरोप या आरोपों का उत्तर देने और अपना बचाव करने का उचित अवसर मिल सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अलावा, यदि निम्नलिखित परिस्थितियाँ हों तो जाँच करना आवश्यक नहीं है:

(i)ऐसे मामलों में कदाचार सिद्ध होने पर भी, बैंक निष्कासन या बर्खास्तगी की सजा देने का इरादा नहीं रखता है, और

(ii) बैंक ने एक दिखावा जारी किया है अधिकारी को नोटिस भेजकर उसे सूचित करना कि दुराचार और उसके लिए उसे मिली सजा ऐसे दुराचार के लिए उत्तरदायी हो सकता है;और

(iii) अधिकारी उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर में स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करता है।

73. निरसन एवं व्यवृत्तियां

(i) इस नियमन के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू और अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होने वाले किसी भी नियम, विनियम, उपनियम, या किसी समझौते या संकल्प में निहित किसी भी नियमन के अनुरूप कोई प्रावधान एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए प्रावधानों के तहत जारी किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इस विनियमों के प्रावधानों के तहत जारी की गई या की गई मानी जाएगी।"

(13) विनियम 2001 के विनियम 22 में यह प्रावधान है कि कोई अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रह सकता है, और न ही उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में अनुपस्थित रह सकता है। खंड (ii) में यह निर्धारित है कि जो अधिकारी बिना अवकाश लिए कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है या अवकाश से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, वह ऐसी अनुपस्थिति या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए किसी भी वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले अनुशासनात्मक उपायों के लिए उत्तरदायी होगा। विनियम 22 का परंतुक सक्षम प्राधिकारी की अनुपस्थिति या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने को क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) इस मामले में याचिकाकर्ता बिना उचित अनुमति के कर्तव्य से अनुपस्थित रहा, इसलिए वह अनुपस्थिति या निर्धारित समय से अधिक समय तक कर्तव्य पर रहने की अवधि के लिए वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा, लेकिन यह सेवा से पृथक्करण का आधार नहीं हो सकता। यदि सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई के लिए दंड लगाने का निर्णय लेता है, तो विनियम 38 लागू होगा।

(15) विनियम, 2001 का विनियम 38 शास्तियों से संबंधित है। विनियम 38 का खंड (1) अधिकारियों पर शास्तियों से संबंधित है। 'सेवा से निष्कासन या बर्खास्तगी' विनियम 38 के खंड 1 (ख) के अंतर्गत 'प्रमुख शास्ति' की परिभाषा में आता है। विनियम 38 का दूसरा परंतुक यह अनिवार्य करता है कि उपर्युक्त प्रमुख शास्तियों में से किसी को भी लागू करने का कोई भी आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आदेश के बिना नहीं दिया जाएगा और ऐसा कोई भी आदेश

आरोप या आरोपों को लिखित रूप में तैयार किए बिना और अधिकारी को दिए बिना तथा ऐसी जांच किए बिना पारित नहीं किया जाएगा, जिसमें उसे आरोप या आरोपों का उत्तर देने और अपना बचाव करने का उचित अवसर मिले। इस प्रकार, सेवा से निष्कासन के प्रमुख दंड को लागू करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी को आरोप या आरोप तैयार करने होंगे और उसके बाद, अधिकारी को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करते हुए जांच करनी होगी।

(16) स्वीकृत रूप से इस मामले में, विनियम, 2001 के तहत निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने के आधार पर, एक साधारण नोटिस के आधार पर सेवा से पृथक कर दिया गया। इस प्रकार, सेवा से पृथक करने का आक्षेपित आदेश विनियम, 2001 के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) उत्तरवादी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वर्मा द्वारा दिनांक 20-2-1989 के परिपत्र (अनुलग्नक - आर/2) पर भरोसा करना असंगत है, क्योंकि यह परिपत्र सभी प्रबंधकों से अधिकारियों और कर्मचारियों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में जानकारी मांगने के लिए जारी किया गया था। इसके अलावा, 2001 के विनियमों के अधिसूचित होने से पहले, 2001 के विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप सभी परिपत्र, निर्देश, सेवा नियम और विनियम, 2001 के विनियम 73 के प्रावधानों के तहत निरसित कर दिए गए थे। इसके अलावा, उपर्युक्त परिपत्र पर भरोसा करना निराधार है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

(18) दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (पूर्वोक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बहुमत से यह माना कि हमारे संविधान में निहित विधि का शासन यह मांग करता है कि इसका पालन सार रूप में और प्रक्रियात्मक रूप से दोनों तरह से किया जाना चाहिए। विधि का शासन यह कहता है कि शक्ति का प्रयोग न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित तरीके से किया जाना चाहिए, न कि अनुचित, मनमाने या स्वेच्छाचारी तरीके से, जिससे भेदभाव की गुंजाइश बनी रहे। इसके अलावा, 'ऑडी अल्टरम पार्टेम' (प्रतिपक्ष के प्रति भेदभाव न करने का) नियम, जो इसका सार है, संविधान के

अनुच्छेद 14 में समानता खंड को लागू करता है। यह नियम न केवल अर्ध-न्यायिक आदेशों पर लागू होता है, बल्कि प्रशासनिक आदेशों पर भी लागू होता है, जो संबंधित व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

(19) मेजर सिंह (पूर्वोक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम जगदीश चंदर4 में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि आदतन अनुपस्थिति और अनुशासनहीनता के निष्कर्ष अनिवार्य रूप से दोषी के करियर पर कलंक लगाते हैं।

(20) इस न्यायालय ने रोशन प्रसाद सिदार (पूर्वोक्त) मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी आदेश के परिणामस्वरूप सिविल कार्रवाई होती है, तो कर्मचारी(यों) को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया आदेश अमान्य हो जाता है। (देखें: श्रवण कुमार झा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य5, डी.के. यादव बनाम जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य6, बसुदेव तिवारी बनाम सिदो कान्हू विश्वविद्यालय और अन्य7, केनरा बैंक और अन्य बनाम देबासिस दास और अन्य8, विवेकानंद सेठी बनाम अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड और अन्य9, मोहम्मद सरताज और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य10, इंदरप्रीत सिंह कहलों और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य11, अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ और अन्य12, मणिपुर राज्य और अन्य बनाम वाई. टोकन सिंह और अन्य13, जसवंत सिंह प्रताप सिंह जडेजा बनाम राजकोट नगर निगम और अन्य14, नेहरू युवा केंद्र संगठन बनाम महबूब आलम लश्कर15 और पंजाब राज्य और अन्य बनाम कांस्टेबल अवतार सिंह (मृत) (वारिसन के माध्यम से16)".

(21) अनिल गिलुरकर बनाम बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य17 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"10. विधि की इस स्थिति को हाल ही में यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम ज्ञान चंद चट्टार (पूर्वोक्त) के मामले में दोहराया गया है और सर्वोच्च न्यायालय में प्रकाशित निर्णय के कण्डिका 35 में,

इस न्यायालय ने टिप्पणी की है कि विधि को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जांच करते समय वैधानिक प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और आरोप विशिष्ट, स्पष्ट और घटना का विवरण देने वाले होने चाहिए, जिसके आधार पर आरोप लगाए गए हैं और अस्पष्ट आरोपों पर कोई जांच नहीं की जा सकती।"

(22) वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और उपरोक्त वर्णित कारणों से, नियुक्ति रद्द करने और अपील खारिज करने के वर्तमान आदेश (अनुलग्नक -पी/1 और पी/2) अंतर्निहित दोषों से ग्रस्त हैं, क्योंकि इन्हें विनियम, 2001 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित नहीं किया गया है। अतः, दिनांक 16-4-2005 (अनुलग्नक - पी/1) और दिनांक 26-12-2007 (अनुलग्नक - पी/2) के आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं और इन्हें रद्द किया जाता है। फलस्वरूप, प्रतिवादिगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को सेवा में पुनः बहाल करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(23) जहां तक पिछले वेतन की मांग का सवाल है, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को भी ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने नए पदस्थापन के बाद 3 दिनों के भीतर ही मूल पद पर वापस आकर बिना अनुमति के कार्य से अनुपस्थित रहा, और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी बैंक का पैसा जनता का है, याचिकाकर्ता को, जिसने लंबे समय तक कोई काम नहीं किया है, पूरा पिछला वेतन नहीं दिया जा सकता। हालांकि, न्याय के हित में, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को उस अवधि के वेतन के बकाया के बदले में 70,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिस अवधि तक उसे सेवा में बहाल किए जाने तक सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी।

(24) परिणामस्वरूप, याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाता है।

(25) वाद व्यय के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षरकर्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

“अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।“

Translated By Nitesh Jain

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur